| | राजस्थान राजपत्र<br>विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE<br>Extraordinary |
|---|---|---|
| सत्यमेव जयते | साअधिकार प्रकाशित | *Published by Authority* |
| | कार्तिक 15, बुधवार, *शाके* 1941–नवम्बर 6, 2019<br>*Kartika 15 Wednesday, Saka 1941–November 6, 2019* | |

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञाएँ

**उद्योग (ग्रुप–1) विभाग**

**राजस्थान निर्यात संवर्द्धन समन्वय परिषद्**

अधिसूचना

**जयपुर, अक्टूबर 25, 2019**

**संख्या प. 30(1)उद्योग/1/2019:–**राज्य सरकार एतद्द्वारा राज्य में निर्यात के संवर्द्धन हेतु व्यवस्थित प्रयास करने, विभिन्न उद्यमों के निर्यात के संबंध में आवश्यक व्यवस्था अपनाने, निर्यात के क्षेत्र में आ रही बाधाओं को दूर करने, विभिन्न औद्योगिक संगठनों एवं उनके प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करने, निर्यात संवर्द्धन हेतु आवश्यक सुझाव प्रदान करने व समुचित आधारभूत सुविधाओं का सृजन एवं विकास करने के लिए के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अनुमोदन से एक परिषद् का गठन करती है, जिसका नाम "राजस्थान निर्यात संवर्द्धन समन्वय परिषद" होगा।

**1.** परिषद् का संक्षिप्त नाम, उद्देश्य और प्रारम्भः–

I. इस परिषद् का नाम राजस्थान निर्यात संवर्द्धन समन्वय परिषद है।

II. इस परिषद् का उद्देश्य निर्यात के संवर्द्धन हेतु व्यवस्थित प्रयास करना, विभिन्न उद्यमों के निर्यात के संबंध में आवश्यक व्यवस्था अपनाना, निर्यात के क्षेत्र में आ रही बाधाओं को दूर करना, विभिन्न औद्योगिक संगठनों एवं उनके प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करना, निर्यात संवर्द्धन हेतु आवश्यक सुझाव प्रदान करना व समुचित आधारभूत सुविधाओं का सृजन एवं विकास कराना होगा।

III. यह परिषद् राज्य सरकार अधिसूचना की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी।

IV. उक्त परिषद् का मुख्यालय जयपुर होगा।

**2.** परिषद् के कार्यः–

I. निर्यात के संवर्द्धन हेतु व्यवस्थित प्रयास करना, विभिन्न उद्यमों के निर्यात के संबंध में आवश्यक व्यवस्था अपनाना व निर्यात के क्षेत्र में आ रही बाधाओं को दूर करना।

II. विभिन्न औद्योगिक संगठनों एवं उनके प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करना, निर्यात संवर्द्धन हेतु आवश्यक सुझाव प्रदान करना व समुचित आधारभूत सुविधाओं का सृजन एवं विकास कराना।

III. राजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद् के साथ समन्वय स्थापित कर उनके सुझावों पर परीक्षण कर समुचित कार्यवाही करना तथा आवश्यकतानुसार नीतिगत/प्रशासनिक संशोधन सुनिश्चित कराना।

IV. विभिन्न अवसरों पर निर्यात प्रोत्साहित करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/क्षेत्रीय मेले, प्रदर्शनियों, बैठकों, कार्यशालाओं, सेमीनार आदि में भागीदारी के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करना तथा उनका क्रियान्वयन कराना।

V. निर्यात संवर्द्धन से जुडे भारत सरकार के विभागों एवं उपक्रमों के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यकतानुसार योजना निर्माण एवं उनके कियान्वयन की कार्यवाही करना।

**3.** राजस्थान निर्यात संवर्द्धन समन्वय परिषद् **में निम्नानुसार पदेन सदस्य होंगेः–**

| क्र.सं. | पद | परिषद् में पद |
|---|---|---|
| | मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार | अध्यक्ष |
| | अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन | सदस्य |
| | अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान व खनिज | सदस्य |
| | अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग | उपाध्यक्ष |
| | अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि | सदस्य |
| | अतिरिक्त मुख्य सचिव, पशुपालन | सदस्य |
| | अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त | सदस्य |
| | प्रमुख शासन सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग | सदस्य |
| | प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन | सदस्य |
| | प्रमुख शासन सचिव, वन एवं पर्यावरण | सदस्य |
| | प्रमुख शासन सचिव, उर्जा | सदस्य |
| | प्रमुख शासन सचिव, श्रम, नियोजन एवं रोजगार | सदस्य |
| | आयुक्त, उद्योग | **सदस्य सचिव** |
| | आयुक्त, वाणिज्य कर (जीएसटी) | सदस्य |
| | प्रबंध निदेशक, रीको लि0 | सदस्य |
| | आयुक्त, निवेश संवर्द्धन ब्यूरो | सदस्य |
| | प्रबंध निदेशक, राजसीको लि0 | सदस्य |
| | राजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद के दो सदस्य (निर्यात संवर्द्धन परिषद के गठन होने के उपरान्त) | सदस्य |

उक्त परिषद् में राज्य सरकार आवश्यकतानुसार औद्योगिक संघों में प्रतिनिधियों एवं विशेषज्ञों को मनोनीत कर सकेगी साथ ही इसमें निर्यात संवर्द्धन से जुडे भारत सरकार के विभागों एवं उपक्रमों को आमंत्रित किया जाएगा।

उक्त परिषद् आवश्यकतानुसार किसी विशेष उत्पाद (जैसे हस्तशिल्प, हाथकरघा, टेक्सटाइल्स कृषि, रत्न आभूषण आदि) या क्षेत्र (जैसे मेवाड, मारवाड, हाडौती, शेखावटी इत्यादि) के लिए विशेष पैनल समितियों का गठन कर सकेगी, जिनके पृथक से संयोजक व सदस्य नियुक्त किये जा सकेंगे।

**4.** उक्त परिषद की अधिशासी/प्रबंध समिति ;Executive/Management Committee) निम्नानुसार होगीः–

| क्र.सं. | पद | परिषद् में पद |
|---|---|---|
| | आयुक्त, उद्योग | अध्यक्ष |
| | प्रबंध निदेशक, रीको लि0 | सदस्य |
| | आयुक्त, निवेश संवर्द्धन ब्यूरो | सचिव |
| | अतिरिक्त निदेशक, उद्योग (निर्यात) | सदस्य सचिव |

उक्त परिषद् में आवश्यकतानुसार औद्योगिक संघों में प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों व निर्यात संवर्द्धन से जुडे भारत सरकार के विभागों एवं उपक्रमों को आमंत्रित/सम्मिलित किया जा सकेगा।

5. मनोनीत सदस्यों के संबंध में प्रावधानः–

I. समस्त मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा एवं राज्य सरकार द्वारा इससे पूर्व भी इन सदस्यों को हटाया जा सकेगा। यदि किसी सदस्य द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन

में शिथिलता बरती जाती है अथवा परिषद के कर्तव्यो में बाधा डाली जाती है तो उन्हें समय से पहले हटाया जा सकेगा। परिषद् तथा अधिशासी समिति के पदेन सदस्यों से भिन्न कोई भी सदस्य राज्य सरकार को लिखित नोटिस देकर अपने पद को त्याग सकेगा और इस प्रकार पद–त्याग किये जाने पर उसका पद रिक्त हो जायेगा। परिषद तथा अधिशासी समिति द्वारा आवश्यकतानुसार समय–समय पर बैठक की जा सकेगी, परंतु परिषद की 3 माह में 1 बार तथा इसकी अधिशासी समिति की प्रतिमाह बैठक आवश्यक होगी।

II. यदि अध्यक्ष का या पदेन सदस्य से भिन्न किसी भी सदस्य का पद मृत्यु, पद त्याग, हटाये जाने के कारण या अन्यथा आकस्मिक रूप से रिक्त हो गया हो तो राज्य सरकार उस पद को ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकेगी।

III. ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सदस्य न रह गया हो, यदि अन्यथा निरर्हित न हो, तो दो कार्यावधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

6. परिषद् के लिए बजट एवं वित्तीय उपलब्धता–

I. उक्त परिषद् विभिन्न विभागों के लिए निर्धारित योजनानुसार बजट का इस क्षेत्र में समुचित प्रयोग सुनिश्चित करेगी और किसी कार्य विशेष हेतु आवश्यक होने पर कार्य के संबंधित विभाग को कार्य स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित करेगी।

II. परिषद् द्वारा आवश्यकतानुसार औद्योगिक संघों की सहभागिता प्राप्त करने की कार्यवाही की जाएगी। इसमें नियमानुसार उद्योगों के माध्यम से कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के अन्तर्गत आधारभूत संरचना अथवा नवाचारपरक कार्यों को लिया जा सकेगा। इस संबंध में राज्य सरकार को प्राप्त कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व राशि का परिषद की स्वीकृति के उपरांत उन्हें तदनुरूप अनुमत किया जा सकेगा।

III. परिषद् के फण्ड के लिए उद्योग विभाग द्वारा उपयुक्त बजट मद में आवश्यकतानुसार यथासंभव बजट प्रावधान किया जायेगा।

IV. परिषद् को उक्त क्षेत्र में सहयोग प्राप्त करने के लिए पृथक से बैंक अकाउंट खोले जाने तथा उसमें निर्धारित योजना एवं प्रावधान अनुसार व्यय किए जाने की अनुमति होगी। परिषद् द्वारा इस संबंध में समस्त प्रकार के आय–व्यय का लेखा रखा जाना सुनिश्चित किया जाएगा तथा ऐसे लेखों की संपरीक्षा एक संपरीक्षक द्वारा की जायेगी, जिसकी एक प्रति राज्य सरकार को प्रेषित की जाएगी।

V. परिषद् के पास उपलब्ध राशि से कराए जाने वाले कार्यों में राजकीय वित्तीय प्रावधानों की पालना की जाएगी। समस्त प्रकार के उपापन (माल, सेवा एवं संकर्मो) वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के तहत वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर उपापन समिति द्वारा किया जायेगा। समस्त उपापन से कार्यवाही सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम – 2017 या GEM पोर्टल के तहत की जायेगी।

7. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति :– यदि इस अधिसूचना के किन्हीं भी उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई भी कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार आदेश द्वारा ऐसे निर्देश दे सकेगी और ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो उसे कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हों।

8. परिषद् के सदस्य की उन्मुक्ति :– परिषद् का प्रत्येक सदस्य विकास कार्यों एवं वित्तीय राशि के समुचित उपयोग हेतु उत्तदायी होगा, परंतु राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, परिषद एवं उसकी अधिशाषी समिति के निर्देश के अधीन कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति के या परिषद् या उसके किसी भी निकाय के अध्यक्ष, सदस्य या किसी भी अधिकारी या सेवक के विरूद्ध ऐसी

किसी भी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी, जो इस परिषद् एवं उसकी अधिशाषी समिति के अधीन विधिपूर्वक और सद्भावपूर्वक और सम्यक् सावधानी और ध्यान से की गयी हो।

**आज्ञा से,**
नीतू बारूपाल,
**शासन उप सचिव।**

---

**राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।**